भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1975
(जिसका उत्तर सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया जाना है)
बिमल जालान समिति की रिपोर्ट

1975. श्री गोपाल शेट्टी:
क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड को पूंजी अंतरण के संबंध में बिमल जालान समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;
(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आरबीआई ने बिमल जालान पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बैंक लाभांश और अधिशेष आरक्षित के रूप में सरकार को अंतरित करने का निर्णय लिया है;
(घ) यदि हां, तो आरबीआई द्वारा सरकार को कितनी धनराशि अंतरित करने का निर्णय लिया गया है;
(ङ) क्या आरबीआई ने पूर्व में भी सरकार को बैंक लाभांश और अधिशेष आरक्षित के रूप में निधि धन अंतरित किया है; और
(च) यदि हां, तो आरबीआई द्वारा किस-किस तिथि को और कितनी निधि अंतरित की गई है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): दिनांक 26 अगस्त, 2019 को आयोजित बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजीगत ढांचे (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान) की समीक्षा करने हेतु विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष पेश की गई थी।

(ख): विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इस रिपोर्ट में की गई संस्तुतियां https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/EXPERTCOMMITTEE77670FDAE7ED42BFBAA68715535BD173.PDF पर देखी जा सकती है।

(ग): वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए जोखिम की व्यवस्था और भारत सरकार को अधिशेष अंतरण का पालन विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के अनुसार किया गया है।

(घ):

लेखा वर्ष	**राशि** **(₹ करोड़ में)**
2018-19 (जुलाई 2018 से जून 2019)	1,75,987.73
2019-20 (जुलाई 2019 से जून 2020)	57,127.53
2020-21 (जुलाई 2020 से मार्च 2021)	99,122.00

(ङ): जी, हां। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार, आरबीआई विगत में भी भारत सरकार को अधिशेष अंतरित करता रहा है।

(च): सूचना अनुबंध में दी गई है।

*****

अनुबंध

पिछले दस वर्षों में अधिशेष के रूप में भारत सरकार को अंतरित अधिशेष की राशि नीचे सारणी में दर्शाई गई है (विशेषज्ञ समिति के अनुमोदन के पूर्व)

वर्ष*	अंतरण की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)
2008-09	13 अगस्त, 2009	25,009.00
2009-10	12 अगस्त, 2010	18,759.00
2010-11	11 अगस्त, 2011	15,009.00
2011-12	09 अगस्त, 2012	16,010.00
2012-13	08 अगस्त, 2013	33,010.00
2013-14	11 अगस्त, 2014	52,679.05
2014-15	13 अगस्त, 2015	65,896.42
2015-16	11 अगस्त, 2016	65,876.04
2016-17	10 अगस्त, 2017	30,659.12
2017-18	08 अगस्त, 2018	50,000.00 (मार्च 2018 में सरकार को अंतरित ₹10,000 करोड़ का अंतरिम लाभांश शामिल है।)

* पिछले वर्षों अर्थात 2008-09 से पूर्व अंतरित अधिशेष का विवरण, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बैंक के वार्षिक लेखाओं पर दिए गए अध्याय में दिया गया है। वही विवरण आरबीआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है:

https://rbi.org.in/scripts/AnnualReportPublications.aspx?Id=990